



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (प्रतिबंधित जमा निकासी) के तहत रखे गए बीमित बैंकों के जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने-अपने बैंक अधिकारियों से संपर्क करें, अपना सम्मति फॉर्म (वैकल्पिक बैंक खाता विवरण) और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ तुरंत जमा करें ताकि संबंधित बैंक ₹5 लाख तक की जमा बीमा राशि के लिए, डीआईसीजीसी द्वारा बैंक को दी गई अंतिम तारीख से पहले, डीआईसीजीसी अधिनियम की धारा 18 ए के संदर्भ में देयता का निर्वहन करने के लिए, जमाकर्ताओं की दावा सूची प्रस्तुत कर सके।

किसी भी शिकायत के मामले में, उसे डीआईसीजीसी के शिकायत निवारण प्रकोष्ठ के dicgc.complaints@rbi.org.in इस ईमेल आईडी पर भेजा जा सकता है।

The depositors of the insured banks placed under All Inclusive Directions by the Reserve Bank of India, with restrictions on withdrawal of deposits, are advised to contact the respective bank officials, submit the form on willingness (alternate bank account details) and other necessary documents immediately to enable the banks concerned to submit to the DICGC the list of depositors' claims, up to the insured amount of ₹5 lakh before the cut-off date given to the bank by DICGC, to discharge liability in terms of Section 18 A of the DICGC Act. In case of any complaint, the same may be sent to the Complaints Redressal Cell of DICGC at dicgc.complaints@rbi.org.in